



CIRCULAR

Sub: Calculation of Gratuity and Cash payment in lieu of Leave following IDA pattern retired on or after 01.10.2020 and up to 30.06.2021


This has reference to the Department of Public Enterprises OM No. W-02/0029/2021-DPE (WC)-GL-XI/21 dated 25.10.2021 containing instructions for calculation of Gratuity and cash payment in lieu of leave to employees of CPSEs following IDA pattern who retired on or after 01.10.2020 and up to 30.06.2021.

In provisions of the DPE OM dated 19.11.2020, calculation of gratuity and cash payment in lieu of leave in respect of employees who retired on or after 01.01.2020 and up to 30.06.2021 are required to be made based on the rate of DA as per the ibid order.

Keeping in view that gratuity and cash payment in lieu of leave are one-time retirement benefits admissible to employees on retirement, thus, the employees who retired on or after 01.01.2020 and up to 30.06.2021, the amount of IDA to be taken into account for calculation of gratuity and cash payment in lieu of leave shall deemed to be as under: -

Employees retiring during the period	Notional Percentage of Dearness Allowance (DA) for calculation purpose
From 01.10.2020 to 31.12.2020	20.9% of basic pay
From 01.01.2021 to 31.03.2021	23.7% of basic pay
From 01.04.2021 to 30.06.2021	23.2% of basic pay

The above rates are applicable to employees, who have been allowed benefit of revised pay scale vide office order dated 24.01.2018 w.e.f. 01.01.2017 on IDA pattern of pay scales governed by DPE's OM dated 03.08.2017, 04.08.2017 & 07.09.17.


Digitally signed
by Sumit Kumar
Date: 2021.10.27
18:50:21 +05'30'

(Sumit Kumar)
Manager (Policy)

Copy to:

1. All HoDs, CWC, CO, New Delhi.
2. AGM (Estt)/ SAM (Admin)/Manager (IR), CWC, CO, New Delhi.
3. All Regional Managers, CWC, Regional Offices.
4. PS to MD /PS to Dir (Pers.)/ PS to Dir (MCP)/Consultant to Dir(F&A)/PA to CVO, CWC, CO, New Delhi.



सं. सीडब्ल्यूसी-सीओ/पीडीओ रिक्रूट/11/2020-पर्स.

दिनांक : 27.10.2021

परिपत्र

विषय : आईडीए पैटर्न का अनुसरण करने वालों के 01.10.2020 को या उसके बाद 30.06.2021 तक सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को छुट्टी के स्थान पर ग्रेच्युटी और नकद भुगतान की गणना।

यह लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0029/2021-डीपीई (डब्ल्यूसी) -जीएल-XI/21 दिनांक 25.10.2021 के संदर्भ में है जिसमें आईडीए पैटर्न का अनुसरण करने वाले सीपीएसई के 01.10.2020 को या उसके बाद 30.06.2021 तक सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को छुट्टी के स्थान पर ग्रेच्युटी और नकद भुगतान की गणना के निर्देश शामिल हैं।

लोक उद्यम विभाग के दिनांक 19.11.2020 के कार्यालय आदेश के प्रावधानों में, उक्त आदेश के अनुसार 01.10.2020 को या उसके बाद 30.06.2021 तक सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की ग्रेच्युटी और नकद भुगतान की गणना डीए की दर के आधार पर की जानी आवश्यक है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि छुट्टी के स्थान पर ग्रेच्युटी और नकद भुगतान कार्मिकों के लिए सेवानिवृत्ति पर स्वीकार्य एकमुश्त सेवानिवृत्ति लाभ है, अतः 01.10.2020 को या उसके बाद 30.06.2021 तक सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों के आईडीए की राशि को ध्यान में रखते हुए छुट्टी के बदले ग्रेच्युटी और नकद भुगतान की गणना निम्नानुसार मानी जाएगी :

अवधि के दौरान सेवानिवृत्त कार्मिक	गणना के उद्देश्य से महंगाई भत्ते (डीए) का अनुमानित प्रतिशत
01.10.2020 से 31.12.2020	मूल वेतन का 20.9%
01.01.2021 से 31.03.2021	मूल वेतन का 23.7%
01.04.2021 से 30.06.2021	मूल वेतन का 23.2%

उपयुक्त दरें उन कार्मिकों पर लागू होती हैं, जिन्हें लोक उद्यम विभाग के दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017 और 07.09.17 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा शासित वेतनमान के आईडीए पैटर्न पर दिनांक 01.01.2017 से संशोधित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने की दिनांक 24.01.2018 के कार्यालय आदेश द्वारा अनुमति दी गई है।

(सुमित कुमार)
प्रबंधक (नीति)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी विभागाध्यक्ष, केभनि, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली
2. सहायक महाप्रबंधक (स्थापना) /वरि. सहायक प्रबंधक(प्रशासन)/प्रबंधक/(आईआर) केभनि, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली ।
3. सभी क्षेत्रीय प्रबंधक, केभनि, क्षेत्रीय कार्यालय।
4. प्रबंध निदेशक के निजी सचिव/निदेशक)कार्मिक(के निजी सचिव, निदेशक)एम एंड सीपी(के निजी सचिव, निदेशक)वित्त एवं लेखा (के परामर्शदाता/मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सहायक, केभनि, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली